

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 500

मुकाम

बडीसादडी

नंबर सि ६

बनाम

राधा

सन 2018

किस्म मुकदमा SI RTA

नं.

52

तारीख व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   |
|-------------|--|
| 18/5/18     | <p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>बडीसादडी</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 52 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया के <u>मौजा मानपुरा की खता नं. 87 खता</u><br/> <u>0.40 का विभाजन होके व बडे व छोट्टा वारी व प्रतिवादी के मध्य कर दिया जावे।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है के मौजा <u>मानपुरा की खता नं. 69 की विवादित ख. नं. 87 2.040 का विभाजन निम्ननुसार करे दिये जावे।</u></p> <p>① नंबर सि ६ 50 जगेट<br/> <u>87 नं. 2.0.20 खता 2.20</u></p> <p>② <u>समा 50 देवा मीजा</u><br/> <u>87/1 2.0.20 खता 2.20</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> |



*(Handwritten signature)*